



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने वाला वांछित 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा बरामदा

अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.2024 को वादिया द्वारा लिखित तहरीरी सूचना बावत वादिया को आकाश एवं पीयूष शर्मा द्वारा भला बुरा कहना व गाली गलौच कर मारपीट करना तथा जान से मारने की नीयत से वादिया व वादिया के भाई पर तमंचे से फायर करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 25/24 धारा 323/504/307/506 भादवि बनाम 1- आकाश 2- पीयूष व 3- एक अज्ञात निवासी ग्राम शुक्रताल थाना नकुड़ सहारनपुर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम शुक्रताल थाना नकुड़ जिला सहारनपुर को मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त एक नाजायज तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस के साथ शुक्रताल के शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं बीएससी में पढता हूँ। हमारे गाँव का ही पीयूष शर्मा मेरा दोस्त है पीयूष की मुकदमे बाजी हमारे ही गाँव के रहने वाले मनीष पुत्र मोहन कश्यप के साथ चल रही है पीयूष ने मुझसे कहा था कि मुझे मनीष से बदला लेना है जिसके लिये मैंने व पीयूष ने अपने एक रिश्तेदार को दिनांक 03.02.2024 को अपने गाँव में बुलवाया और हम तीनों मोटर साईकिल पर मनीष के घर के बाहर गये तो मनीष व उसकी बहन नल के पास खड़ी थी वहाँ हमारी पहले गाली गलौच मारपीट हुयी फिर मैंने मनीष पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया लेकिन मनीष बच गया था फिर मेरे से पीयूष ने तमंचा लेकर मनीष पर फायर कर दिया था मनीष अपने घर में घुस गया था हम तीनों वहाँ से भाग गये थे जो तमंचा मुझसे बरामद हुआ है यह वही तमंचा है जिससे मैंने व पीयूष ने मनीष पर जान से मारने की नीयत से फायर किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आकाश पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम शुक्रताल थाना नकुड़ सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 45 गजे सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 844 दीपक कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 25000/- रुपये का इनामी शातिर गौकश/अभियुक्त बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा/02 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित अपराधियों की धर पकड़ हेतु सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.02.2024 की रात्रि में कस्बा चिलकाना में सुल्तानपुर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि आपके थाने का पुलिस मुठभेड़ का वांछित अभियुक्त अपने एक अन्य साथी के साथ सहारनपुर से कालू माजरा वाले रास्ते की ओर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कालू माजरा मोड पर पहुंचकर बदमाशों के आने का इन्तेजार करने लगे। कुछ समय बाद ग्राम कालू माजरा की तरफ से 02 व्यक्ति मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) पर आते दिखायी दिये। जिनको टार्च से रूकने का इशारा किया तो दोनो बदमाश अचानक पुलिस को सामने देखकर एकदम मोटर साइकिल वापस मोडकर भागने लगे, तभी मोटर साइकिल अनियंत्रित होकर फिसलकर गिर गयी। पुलिस से घिरता देख दोनो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दी गयी परन्तु पुनः पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। गिरफ्तार/घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश की पहचान **मुमताज पुत्र इस्तयाक निवासी मौहल्ला मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना, सहारनपुर** के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 खोखा/02 जिन्दा कारतूस 315 तथा 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त दिनांक 04.02.2024 को रावणपुर बुजुर्ग रोड़ पर हुई पुलिस मुठभेड़ में थाना चिलकाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम का वांछित अभियुक्त है और 25000/- रुपये का इनामी बदमाश है। यह शातिर बदमाश पूर्व में कई बार गम्भीर अपराधों में जेल गया है। फरार बदमाश की तलाश हेतु काम्बिग की जा रही है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 33/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ पर अभियुक्त मुमताज उपरोक्त ने बताया कि मैं और मेरे साथी रात्रि में आवारा घुमते पशुओं को पकड़ लेते हैं और जंगल में एकान्त स्थान पर ले जाकर गौकशी कर देते हैं और मांस को आस-पास मुस्लिम बस्तियों में बेच देते हैं जिससे हम लोगों को अच्छी कमाई हो जाती है। दिनांक 04.02.2024 की रात्रि में हम लोग गौकशी करने जा रहे थे। तो रास्ते में पटना नया बांस रोड़ पर पुलिस चैकिंग कर रही थी तो हम लोगों को पुलिस ने रूकने का इशारा किया था और पुलिस टीम से बचने के लिए हम लोगों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर वहां से भागने लगे थे तथा पुलिस टीम ने हम तीनों का पीछा किया था जिसमें पुलिस द्वारा मेरे एक साथी बिलाल को पकड़ लिया था तथा मैं व मेरा एक साथी मौके से भाग गये थे तथा आज मैं और अपने साथी के

साथ पुलिस से बचता हुआ कालू माजरा वाले रास्ते से आ रहे थे, तो पुलिस ने टार्च से हमें रूकने का इशारा किया तो हमने पुलिस टीम को देखकर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुझे पैर में गोली लग गयी और मेरा साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गया।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पता:-

मुमताज पुत्र इस्तयाक निवासी मौहल्ला मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 देशी तमन्चा 315 बोर व 01 खोखा/02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटर साईकिल होण्डा साइन रंग काला बिना नम्बर

अभियुक्त मुमताज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 128/09 धारा 3/5क/8 सी एस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 129/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 191/09 धारा 110 जी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 197/09 धारा 3 यू पी गुण्डा एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 93/11 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
6. मु0अ0स0 113/11 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
7. मु0अ0स0 163/11 धारा 147/148/149/307/420/34/472/328 भादवि व 7 सीएलए एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम व 5/8 सी एस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
8. मु0अ0स0 278/19 धारा 3/5क/8 सी एस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
9. मु0अ0स0 299/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
10. मु0अ0स0 300/19 धारा 3/5क/8 सी एस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
11. मु0अ0स0 80/20 धारा 3/5क/8 सी एस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
12. मु0अ0स0 81/20 धारा 420/406 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
13. मु0अ0स0 175/20 धारा 307 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
14. मु0अ0स0 176/20 धारा 3/5क/8 सी एस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
15. मु0अ0स0 210/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
16. मु0अ0स0 31/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 ए एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. थानाध्यक्ष श्री कपिल देव थाना चिलकाना, सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राजेन्द्र गिरी थाना चिलकाना, सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना चिलकाना, सहारनपुर।
4. का0 2056 शुभम सिरोही थाना चिलकाना, सहारनपुर।
5. का0 244 धर्मेन्द्र कुमार थाना चिलकाना, सहारनपुर।



दिनांक: 07-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र देवीदयाल नि0 ग्राम मछरौली थाना गंगोह जिला सहारनपुर को मछरौली बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/वारण्टी का नाम व पता:-

1. दीपक पुत्र देवीदयाल नि0 ग्राम मछरौली थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अशोक सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. का0 1223 बाबूराम थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. का0 1606 दीपक थाना गंगोह जिला सहारनपुर।



दिनांक: 07-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 वांछित अभियुक्त राजू पुत्र शीशपाल निवासी शेरपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर को संबंधित मु0अ0सं0 108/23 धारा 498ए/304बी/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में ग्राम शेरपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजू पुत्र शीशपाल निवासी शेरपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1- मु0अ0सं0 108/23 धारा 498ए/304बी/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1-उ0नि0 वेदप्रकाश थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

2-का0 2071 इस्लाम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

3-का0 699 अशोक कुमार थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर



दिनांक- 07.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 05 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस द्वारा 05 नफर वारण्टी 1.रहमान पुत्र इमरान निवासी ग्राम समसपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर उम्र करीब 22 वर्ष 2.इमरान पुत्र इब्राहिम निवासी उपरोक्त उम्र करीब 52 वर्ष 3.शहबान पुत्र इमरान निवासी उपरोक्त उम्र करीब 22 वर्ष सम्बन्धित वाद सं0 75/21, धारा 452/323/504/506 भादवि न्यायालय जे0एम0 2 4.नसीम पुत्र नासिर निवासी ग्राम समसपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर उम्र करीब 24 वर्ष सम्बन्धित वाद सं0 2840/19 धारा 379 भादवि न्यायालय जे0एम0 2 5. नौशाद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित परिवाद सं0 2059/19 धारा 379/332/353 भादवि व 4/21 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 को दौराने दबिश उनके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. रहमान पुत्र इमरान निवासी ग्राम समसपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. इमरान पुत्र इब्राहिम निवासी उपरोक्त
3. शहबान पुत्र इमरान निवासी उपरोक्त
4. नसीम पुत्र नासिर निवासी उपरोक्त
5. नौशाद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करना वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 गजेन्द्र सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. हेका0 256 रवि कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. हेका0 847 धर्मेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. का0 2453 संदीप थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. का0 2219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 एन0बी0डब्लू वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर 02 एन0बी0डब्लू वारण्टी अभियुक्तगण 1. बट्टू उर्फ मुस्तफा पुत्र मौ0 यासीन 2. मुदरिसर पुत्र अय्यूब नि0 नि0 ग्राम छज्जपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं0 2227/23 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. बट्टू उर्फ मुस्तफा पुत्र मौ0 यासीन नि0 ग्राम छज्जपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. मुदरिसर पुत्र अय्यूब नि0 ग्राम छज्जपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री सोनू राणा, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 813 धर्मेन्द्र कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0कां0 735 सूरज, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री संजीव कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 वांछित अभियुक्त अभियुक्त रजनी कान्त उर्फ छोटू पुत्र रामशरण निवासी ग्राम अम्बेटा चांद थाना बडगांव को सम्बन्धित मु0अ0स0 19/24 धारा 147,363,376(3),342,504,506 भादवि व 3/4(2) पोक्सो अधि0 थाना बडगांव जनपद सहारनपुर को ग्राम अम्बेटा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रजनी कान्त उर्फ छोटू पुत्र रामशरण निवासी ग्राम अम्बेटा चांद थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा थाना बडगांव जनपद, सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बनवारीलाल सिंह थाना बडगांव जनपद, सहारनपुर।
3. का0 2270 पूरन कुमार थाना बडगांव जनपद, सहारनपुर।



प्रेस नोट

दिनांक: 07.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट पर अभियुक्त आशू पुत्र अमरेश निवासी ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सख्या 1489/21, मु0अ0सं0 2023/21 धारा 302/201 भादवि माननीय न्यायालय Add. Distt. And Sess. Judge, Saharanpur को उसके मसकन ग्राम मल्हीपुर से दिनांक 07.02.2024 को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. आशू पुत्र अमरेश निवासी ग्राम मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 विपिन कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
- 2.का0 1617 योगेश कुमार थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर



दिनांक: 07-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ 01 शातिर बदमाश/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगातार संघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 06.02.2024 को जब थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा गस्त चैकिंग की जा रही थी। तभी एक गाडी तल्हेडी अड्डे की तरफ से आती दिखाई दी, जिसे हम पुलिस वालो ने टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया तो गाडी चालक ने स्पीड बढ़ा दी और हम पुलिस वालो को शक हुआ और गाडी का पिछा किया तो श्रीराम यार्ड के मोड पर तेजी से मोडने के कारण यह गाडी असंतुलित होकर सडक के नीचे उतर गयी और जैसे ही हम पुलिस वाले पीछा करते हुए नजदीक पहुंचे तो गाडी की पिछली सीट पर बैठे बदमाश ने गाडी के खुले शीशे से हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से तथा अगली सीट पर बैठे व्यक्ति भी हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जिससे हम पुलिस वाले बाल-बाल बचे गाडी की ड्राईवर सीट पर तथा अगली सीट पर बैठे दोनों बदमाश अस्लाह लहराते हुए ईख के खेत में भागे तथा गाडी की पिछली सीट पर बैठे बदमाश को जो खिडकी खोलकर भागने का प्रयास कर रहा था उसे थाना देवबन्द पुलिस टीम ने घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया। फरार दोनों बदमाशो की तलाश हेतु कांबिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान **विजय पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 टाटा सफारी रंग काला रजिस्ट्रेशन सं०-DL11 CB 0228 व 01 तमन्चा मय 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु०अ०स० 57/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम के पंजीकृत किया गया। टाटा सफारी गाडी रंग काला रजिस्ट्रेशन सं० DL11 CB 0228 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त विजय उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने दोनों दोस्तो के साथ टाटा सफारी गाडी से तल्हेडी अड्डे की तरफ से पनयाली की तरफ से ग्राम सरसीना जा रहे थे हम तीनों के पास अवैध अस्लहे थे जैसे ही हम लोग दिव्य ज्ञान स्कूल के पास पहुंचे तो पुलिस वाले हमारी गाडी रुकवाने की कोशिश की हमारे पास अवैध हथियार थे, तथा मेरे एक दोस्त के ऊपर काफी मुकदमे है इसलिए पकडे जाने के डर से हमने कार को भगा दिया जैसे ही हम श्रीराम यार्ड के पास पहुंचे तो मोड पर घबराहट में गाडी सडके के नीचे उतर गयी, पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे थे जैसे ही पुलिस नजदीक आयी तो पकडे जाने के डर से मैंने व मेरे साथियो ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिये इसी बीच मेरे दोनों साथी ईख के खेत में भाग गये। मुझे भागते हुए पुलिस ने मौके पर ही गाडी के पास पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विजय पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 टाटा सफारी गाडी रंग काला (अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री अजय कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
2. का0 2211 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
3. का0 721 अक्षय तोमर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
4. का0 2165 लोकेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 25 पच्चे देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री त्रिभुवन सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 07.02.2024 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **अभियुक्त रविन्द्र पुत्र रामकुमार निवासी मीरपुर मोहनपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर** को ग्राम ताजपुर भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 25 पच्चे देशी शराब बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नांगल पर मु0अ0सं0 28/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान बताया गया कि मैं ठेके से देशी शराब के पच्चे खरीदकर अपने गाँव मे अधिक पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. रविन्द्र पुत्र रामकुमार निवासी मीरपुर मोहनपुर थाना नांगल जिला सहारनपुर

विवरण बरामदगी

25 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्क

अभियुक्त रविन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 151/21 धारा 60(1)आबकारी अधि0 थाना नांगल, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 90/22 60(1)आबकारी अधि0 थाना नांगल, सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 134/22 धारा 60(1)आबकारी अधि0 थाना नांगल, सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 28/24 धारा 60(1)आबकारी अधि0 थाना नांगल, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री त्रिभुवन सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 757 सन्नी कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ एन्टीरोमियो पुलिस टीम द्वारा 01 मनचले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ एन्टीरोमियो पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.02.2024 को सडक पर आती जाती महिलाओं पर अश्लील फब्तियाँ कसने वाले अभियुक्त **शुभम कुमार पुत्र परमेश कुमार निवासी ग्राम खुशहालीपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को बुगवाला तिराहे से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 11/24 धारा 294 भादवि पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शुभम कुमार पुत्र परमेश कुमार निवासी ग्राम खुशहालीपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 महेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
- 2-उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
- 3-म0का0 1319 आरती थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
- 4-म0का0 213 ज्योति थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा गुमशुदा युवती को किया गया सकुशल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.09.2023 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत वादिया की पुत्री बिना बताये घर से चले जाने की सूचना के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 490/23 धारा 363/366 भा0द0वि बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व गुमशुदाओं की तलाश हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.02.2024 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए गुमशुदा/पीडिता को सकुशल बरामद किया गया। पीडिता को आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी कराने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह चौकी प्रभारी गोपाली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 721 अक्षय कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. म0का0 310 राखी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 07.02.2024 को 01 नफर वारंटी अभियुक्त **अनम उर्फ बबली उर्फ मुसराफा पत्नी जहाँगीर निवासी शूकर नगर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं० 1920/22 मु०अ०सं० 183/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कुतुबशेर सहारनपुर (माननीय न्या० स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सहारनपुर) को उनके मसकन से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त अनम उर्फ बबली उर्फ मुसराफा पत्नी जहाँगीर उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता –

अनम उर्फ बबली उर्फ मुसराफा पत्नी जहाँगीर निवासी शूकर नगर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. म०का० 1071 मोंटी तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. म०का० 1642 शीतल अटवाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. म०का० 2131 अजंली तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनक्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सुनील कुमार नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 07.02.2024 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त जमाल पुत्र फैजान निवासी हाकमशाह कालौनी 23 फुटा रोड पीर वाले मदरसे के पीछे थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को अन्तर्गत धारा 125 सीआरपीसी में थाना क्षेत्र कुतुबशेर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जमाल पुत्र फैजान निवासी हाकमशाह कालौनी 23 फुटा रोड पीर वाले मदरसे के पीछे थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 338 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 453 प्रवीण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर